राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 35 दिनांक : 01.01.2026

आदेश

सा.आ.141 / 2026 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 59(12) के उपबन्ध (क) के प्रावधानों के अनुसार मतपत्र ऐसे प्रारूप में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 5749 दिनांक 05.12.2019 (सां. आ. 133 / 2019) के द्वारा **पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख** पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप विहित किया हुआ है।

आयोग अपने उक्त आदेश क्रमांक 5749 दिनांक 05.12.2019 (सां. आ. 133 / 2019) को अधिक्रमित करते हुए पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप निम्नांकित रूप से विहित करता है:–

1. मतपत्र की चौडाई 4 इंच होगी।
2. पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख पदों के चुनाव हेतु प्रत्येक मतपत्र के ऊपरी भाग में 2.5 से.मी. की जगह होगी, जिसमें क्रमानुसार निम्नांकित विशिष्टियां / विवरण अंकित होगाः–
   (क) ऊपरी भाग पर काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
   (ख) बॉयीं ओर मतपत्र का क्रमांक होगा।
   (ग) पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए 'प्रधान पद का निर्वाचन' अथवा 'उप प्रधान पद का निर्वाचन', पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन की विशिष्टियायथा साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं चुनाव का वर्ष, उदाहरणार्थ साधारण निर्वाचन, 2026 के लिए ''सा.नि. / 20........'' एवं उप निर्वाचन, 2026 के लिए ''उ.नि. / 20.......'' अंकित किया जाएगा। उक्त विवरण / विशिष्टियॉ बिन्दु संख्या (क) में वर्णित काली सीमा रेखा (Border Line) के नीचे दायीं ओर एक के नीचे एक अंकित होगी।
   (घ) जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए 'प्रमुख पद का निर्वाचन' अथवा 'उप प्रमुख पद का निर्वाचन', जिला परिषद का नाम, निर्वाचन की विशिष्टियायथा साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं चुनाव का वर्ष एक के नीचे एक उप बिन्दु (ग) के अनुसार अंकित किया जाएगा।
   (ङ) ऊपरी भाग को मतपत्र से पृथक करने हेतु काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
3. निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित समस्त पैनलों को छायादार (Shaded) पट्टी से पृथक किया जाएगा। प्रत्येक छायादार पट्टी की ऊँचाई 1.25 से.मी. होगी।
4. निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए प्रत्येक पैनल की ऊँचाई 2.5 से.मी. होगी।
5. पैनलों में अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) बायीं ओर तथा इनके लिए निर्धारित प्रतीक दायीं ओर अंकित होंगे।

6. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 3.5 X 2.0 से.मी. (चौडाई X ऊँचाई) से अधिक नहीं होगा।

7. मतपत्र के निचले हिस्से में भी एक काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।

8. मतपत्र पर विशिष्टियाहिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।

9. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 तक होने पर मतपत्र एक स्तम्भ में होगा। निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 से अधिक किन्तु 18 तक होने की स्थिति में मतपत्र दो स्तम्भों में होगा। इस स्थिति में निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित विषम में होने पर मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।

   उदाहरण :– 1. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 6 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

   उदाहरण :– 2. यदि चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 13 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थियों के नाम एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। दोनों स्तम्भों का आकार समान रखने के लिए अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

10. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 18 से अधिक होने की स्थिति में मतपत्र तीन स्तम्भों में होगा एवं यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मतपत्र के तीन या इससे अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में अंतिम स्तम्भ को छोडकर पूर्व के सभी स्तम्भों में अंकित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समान होगी। अंतिम स्तम्भ में नोटा के पश्चात् एक से अधिक पैनल रिक्त रह सकते है। ऐसे रिक्त पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगें।

    उदाहरण :– **1**. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

    उदाहरण :– **2**. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 27 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 9 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 9 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 8 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

    उदाहरण :– **3** यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 22 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 8 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 8 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा

(इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में अंतिम दो पैनल छायादार (Shaded) होगें।

11. मतपत्र के दो या अधिक स्तम्भों में होने पर प्रत्येक स्तम्भ की चौडाई 4 इंच होगी।

12. **मतपत्र दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 1 से.मी. मोटाई की छायादार खडी लाईन प्रथम पैनल से उस स्तम्भ के अंतिम पैनल तक अंकित होगी।**

13. निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।

14. मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–1** एवं **परिशिष्ट–2** पर एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–3** एवं **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध है।

15. मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–5** एवं **परिशिष्ट–6** पर एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–7** एवं **परिशिष्ट–8** पर उपलब्ध है।

भवदीय,

1/1/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/36-41 दिनांक 01.01.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
5. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र में प्रकाशन के लिए ई–गजट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01.01.2026

(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

पंचायत समिति के प्रधान निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

प्रधान पद का निर्वाचन
पंचायत समिति का नाम ....
सा.नि./20.......

No. 0659562

प्रशान्त कुमार	
प्रधान चुनाव	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	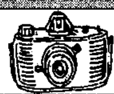
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

पंचायत समिति के उप प्रधान निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

उप प्रधान पद का निर्वाचन पंचायत समिति का नाम .... सा.नि. / 20...... No. 0659562	
प्रशान्त कुमार	
उप प्रधान चुनाव	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

परिशिष्ट–3

जिला परिषद के प्रमुख निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

जिला प्रमुख पद का निर्वाचन
जिला परिषद का नाम ....
सा.नि./20.......

No. 0659562

प्रशान्त कुमार	
जिला प्रमुख चुनाव	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

परिशिष्ट–4

जिला परिषद के उप प्रमुख निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

उप प्रमुख पद का निर्वाचन
जिला परिषद का नाम ....
सा.नि. / 20.......

No. 0659562

प्रशान्त कुमार

उप प्रमुख चुनाव

प्रशान्त कुमार

प्रशान्त कुमार

प्रशान्त कुमार

प्रशान्त कुमार

प्रशान्त कुमार 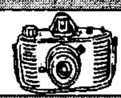

प्रशान्त कुमार

प्रशान्त कुमार 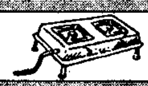

नोटा (इनमें से कोई नहीं)

पंचायत समिति के प्रधान निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

प्रधान पद का निर्वाचन
पंचायत समिति का नाम...
सा. नि. / 20........

No. 0659562

प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रधान चुनाव			
प्रशान्त कुमार	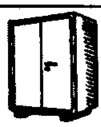	प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	
प्रशान्त कुमार			

पंचायत समिति के उप प्रधान निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

उप प्रधान पद का निर्वाचन
पंचायत समिति का नाम...
सा. नि./20........

No. 0659562

प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
उप प्रधान चुनाव			
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	
प्रशान्त कुमार	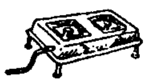		

जिला परिषद के प्रमुख निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

जिला प्रमुख पद का निर्वाचन
जिला परिषद का नाम...
सा. नि./20........

No. 0659562

प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
जिला प्रमुख चुनाव			
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	
प्रशान्त कुमार	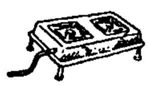		

जिला परिषद के उप प्रमुख निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

उप प्रमुख पद का निर्वाचन
जिला परिषद का नाम..
सा. नि./20........

No. 0659562

प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
उप प्रमुख चुनाव			
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	
प्रशान्त कुमार			